

**सार्वजनिक वेयर हाऊस लाइसेंसिंग विनियम, 2016**  
**अधिसूचना सं. 70/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मई, 2016**

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 57, धारा 157 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इन विनियमों को सार्वजनिक वेयर हाऊस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

**2. परिभाषाएं :-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "आवेदक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि धारा 57 के अंतर्गत सार्वजनिक वेयर हाऊस के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता है;

(ग) "सार्वजनिक वेयर हाऊस" से अभिप्राय ऐसे स्थल या भवन से है जिसको कि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क ने धारा 57 के अंतर्गत सार्वजनिक वेयर हाऊस के रूप में लाइसेंस दिया है;

(घ) "धारा" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है;

(2) यहां प्रयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है उनका क्रम वही अभिप्राय होगा जैसा कि उक्त अधिनियम में उन के लिए नियत किया गया है।

**3. सार्वजनिक वेयर हाऊस के लिए लाइसेंस का दिया जाना -** (1) सार्वजनिक वेयर हाऊस के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किए जाने पर, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क ऐसे आवेदक को लाइसेंस जारी कर सकता है, जो कि -

(क) भारत का नागरिक हो या ऐसा कोई निकाय हो जो कि तत्समय प्रवर्तित विधि के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत हो;

(ख) ऐसी शर्तों की अनुपालना करने के लिए वचन देता है जो कि प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क अथवा आयुक्त सीमाशुल्क, जैसा भी मामला हो द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(ग) किसी अनुसूचित बैंक से दो करोड़ रुपये की राशि का शोध क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है;

बशर्ते कि, शोध क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे किसी प्रतिष्ठान पर अथवा ऐसे पत्तनों पर लागू नहीं होगी जिसको कि प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो;

(2) प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क ऐसे किसी आवेदक को लाइसेंस जारी नहीं करेगा यदि -

(क) यदि उसे किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो,

(ख) उसे किसी न्यायालय में किसी कानून के अन्तर्गत इस समय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

(ग) उसे इस अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय V के अंतर्गत किसी अपराधिक कार्य के लिए दण्डित किया गया है में शामिल हो।

(घ) यदि वह विक्षिप्त मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है; अथवा

(ड.) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो इस बात से संतुष्ट हों कि-

i. वह स्थान या भवन जो कि सार्वजनिक वेयर हाऊस के लिए प्रस्तावित है शुल्क वाले वस्तुओं के भण्डारण के लिए सुरक्षित नहीं पाया जाता है; या

ii. वह स्थान या भवन जो कि सार्वजनिक वेयर हाऊस के लिए प्रस्तावित है सीमा शुल्क अधिकारियों के सामान्य निरीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है।

iii. आवेदक के विरुद्ध दिवालियेपन की कार्यवाहियां लंबित हैं; अथवा

iv. आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां लंबित हैं और इससे जुड़े अपराध ऐसे स्वरूप के हैं कि लाइसेंस दिए जाने के लिए वह उपयुक्त नहीं है।

**4. शर्तें जिनको कि आवेदक के द्वारा पूरा किया जाना है -** जहां कि, परिसर का निरीक्षण किए जाने के पश्चात, विनियम 3 के अंतर्गत किए गए शर्तों के अनुपालन का मूल्यांकन और ऐसी पृष्ठताछ जो कि आवश्यक समझी जाए के पश्चात प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, जैसा भी मामला हो सीमा शुल्क लाइसेंस दिए जाने को अनुमोदित कर देता है तो आवेदक -

(क) भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में, सार्वजनिक वेयर हाऊस में किसी भी समय रखे जाने के लिए प्रस्तावित तथा शुल्क वाले वस्तुओं में निहित शुल्क की राशि के समतुल्य राशि के बराबर की राशि के लिए सभी प्रकार की जोखिमपरक बीमा पॉलिसी, जिसमें कि प्राकृतिक

आपदा, दंगा, आग, चोरी, चालबाजी व उठाईगिरी तथा वाणिज्यिक अपराध शामिल हैं, जमा करेगा;

- (ख) इस बात का वचनपत्र देगा कि वह धारा 73 (क) की उपधारा (3) के अंतर्गत या वेयर हाऊस (वस्तुओं के अभिरक्षण और देखरेख) विनियम, 2016 के अंतर्गत वेयर हाऊस में रखे गए माल से संबंधित किसी शुल्क, ब्याज, शास्ति और दण्ड का भुगतान करेगा;
- (ग) एक वचनपत्र देकर प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क को, जैसा भी मामला हो, वेयर हाऊस में रखे गए माल को उनकी प्राप्ति, डिलिवरी, भण्डारण, प्रेषण या रख-रखाव के दौरान दुर्घटना, क्षति, खराबी, विनाश या अन्य किसी अप्राकृतिक कारणों से हानि होती है तो क्षतिपूर्ति करेगा; और
- (घ) ऐसे व्यक्ति को हाउसकीपर के रूप में नियुक्त करेगा जिसके पास वेयर हाऊस के संचालन और सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं से संबंधित पर्याप्त अनुभव होगा।

**5. लाइसेंस दिया जाना** - विनियम 3 और विनियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा किए जाने पर प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त सीमा शुल्क जैसा भी मामला हो, यथा आवश्यक समझे जाने वाली शर्तों के अधीन किसी सार्वजनिक वेयर हाऊस के संबंध में लाइसेंस जारी कर सकता है।

**6. लाइसेंस की वैधता** - विनियम 5 के अंतर्गत जारी कोई भी लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक इसे धारा 58ख अथवा विनियम 8 के उपविनियम 2 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार रद्द न कर दिया जाए।

**7. लाइसेंस का अंतरण नहीं किया जाना** - विनियम 5 के अंतर्गत दिया गया लाइसेंस अंतरणीय नहीं है-

**8. लाइसेंस को वापस लौटाना** - (1) कोई भी लाइसेंसी अपने को दिए गए लाइसेंस को प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, को लिखित अनुरोध करते हुए वापस कर सकता है।

(2) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क उपविनियम (1) के अंतर्गत अनुरोध के प्राप्त होने पर ऐसे लाइसेंस को रद्द कर सकता है, यदि -

(क) लाइसेंसी ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को सभी देय धन का भुगतान कर दिया है।

(ख) सार्वजनिक वेयर हाऊस में कोई भी जमा माल पड़ा नहीं रहता है या ऐसा माल उप-विनियम (1) में संदर्भित अनुरोध की तारीख से सार्वजनिक वेयर हाऊस में जमा किया गया होता है।

(ग) लाइसेंसी के खिलाफ इस अधिनियम या नियम या विनियम के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है।

**9. मौजूदा सार्वजनिक वेयर हाऊसों के लिए लाइसेंस -** वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के प्रारंभ होने से तत्काल पूर्व धारा 57 के अंतर्गत निर्धारित कोई सार्वजनिक वेयर हाऊस इन विनियमों के अंतर्गत इन विनियमों के शुरू होने की तारीख के 3 माह के भीतर वैध होगा बशर्ते इस प्रकार का वेयर हाऊस विनियम 3 के उपविनियम 1 (ख) और (ग) तथा विनियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों की अपेक्षा पूरी करता है।